308

संख्या-1939/XVIII(II)/2015-18(71)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढवाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून दिनांक :07 अक्टूबर, 2015

विषयः-शासनादेश सं0-151/18(1)/2006 दि0-28.06.2006 को निरस्त करते हुए जनपद पौड़ी गढवाल में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की स्वीकृत धनराशि से अम्बेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय के भवन निर्माण हेतु कुल 60 वर्गमीटर भूमि प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति (पंजीकृत), पौड़ी गढवाल को निःशुल्क पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3692/21-एल0बी0सी0/2013-2014 दि0-15.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, शासनादेश सं0-151/18(1)/2006 दि0-28.06.2006 को निरस्त करते हुए जनपद पौड़ी गढवाल की तहसील पौड़ी, पट्टी नांदलस्यूं के ग्राम पौड़ी के नॉन जेड0ए0 ख0खा0सं0-02 के खसरा सं0-458 रकबा 0.214 है0 मध्ये 60 वर्गमीटर भूमि को शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-राजस्व-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-280-रा0-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों को शिथिलता प्रदान करते हुए प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति (प्राशिकस), कार्यालय-13 विकासमार्ग, पौड़ी गढवाल को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पट्टे पर निःशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

4. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगें।

7. प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

पृ0प0सं0–1939 /संमदिनांकित/2015

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3 प्रदेश अध्यक्ष, प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति (प्राशिकस), कार्यालय–13 विकासमार्ग, पौड़ी गढवाल।
4 निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5 प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Alok

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव।